

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग ।

~~बिज्ञापित~~

स्वास्थ्य विभाग के सभी चिकित्सा पदाधिकारी

विषय : जून, 2011 के स्थानान्तरण के संबंध में ।

जैसा कि आप सभी अवगत है, चिकित्सा पदाधिकारियों का स्थानान्तरण केवल जून माह में किया जाता है । स्थानान्तरण की व्यवस्था को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने हेतु यह आवश्यक है कि जो चिकित्सक अपने पदस्थापित स्थान पर कार्याविधि पूरा कर चुके हैं एवं स्थानान्तरण के इच्छुक हैं, वे अपना आवेदन सिविल सर्जन के माध्यम से उपलब्ध करावें । आवेदन में पदस्थापन हेतु पांच ऑप्शन(option) भी अवश्य दें ।

2- व्यवहारिकता को देखते हुए स्थानान्तरण सीमित रूप से ही किया जायेगा एवं केवल वैसे ही मामलों में जहां ऐसा करना नितान्त आवश्यक हो अथवा प्रशासनिक दृष्टिकोण से ऐसा करना अनिवार्य हो, स्थानान्तरण किया जायेगा । राज्य में सभी जिलों में अच्छी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है इसलिए स्थानान्तरण में इस पर अवश्य ध्यान दिया जायेगा कि सभी जिलों में पर्याप्त संख्या में चिकित्सक हों । ऑप्शन (option) पर विचार करते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि नव नियुक्त चिकित्सकों को सुदूर जिलों में भी कार्य करने की अनिवार्यता हो । सेवानिवृत्ति के अन्तर्गत आनेवाले चिकित्सकों के ऑप्शन अथवा महिला चिकित्सकों के ऑप्शन को प्राथमिकता दिया जायेगा । राज्य सरकार की इच्छा है कि चिकित्सकगण अच्छी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करावें और इसके लिए एक पारदर्शी स्थानान्तरण नीति भी निर्धारित की जा रही है । मैं चिकित्सकों से यह भी अपील करना चाहूंगा कि सुदूर क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना आवश्यक है और इसलिए इन क्षेत्रों में भी चिकित्सकों का पदस्थापन प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा । इसलिए हर समय ऑप्शन के आधार पर ही पदस्थापन संभव नहीं हो पायेगा । फिर भी जो भी किया जायेगा एक पारदर्शी नीति के अन्तर्गत होगा ।

(अमरजीत सिन्हा)

प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग ।

ज्ञापांक-

191(45)

पटना, दिनांक 21 मार्च, 2011

प्रतिलिपि सभी सिविल सर्जन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित । अनुरोध है कि अपने-अपने जिला के चिकित्सकों के स्थानान्तरण संबंधी आवेदन एक साथ अप्रैल माह की बैठक में उपलब्ध करायेंगे ।

(अमरजीत सिन्हा)

प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग ।

